राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि0,
नेहरू सहकार भवन, 22 गोदाम सर्किल, जयपुर
फोन 0141–2740440 फैक्स 0141–2740930

क्रमांकःफा0आमसभा / प्र.सं.प्र. / 20–21 /21884-927 दिनांकः– 12/01/2021

विषयः– 56वीं वार्षिक साधारण सभा वर्ष 2019–20 की बैठक दिनांक 05.02.2021 का नोटिस।

प्रसंगः– बैंक का पत्रांक फा0 आमसभा / प्र.सं.प्र. / 20–21 / 12633–673 दिनांक 10.09.2020

महोदय,

बैंक की 56वीं साधारण सभा की बैठक दिनांक 26.09.2020 को आहूत किया जाना प्रस्तावित था परन्तु कोविड संक्रमण में हुई वृद्धि के मध्येनजर राज्य सरकार स्तर से जारी आदेश कमांक प. 33 (2) गृह–9 / 2019 पार्ट, दिनांक 20.09.2020 एवं कुछ प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के अध्यक्ष महानुभावों द्वारा किये गये अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए बैंक द्वारा पत्र कमांक 13328–368 दिनांक 22.09.2020 से उक्त बैठक को स्थगित किया गया था।

इस संबंध में सूचित किया जाता है कि बैंक की उक्त 56वीं साधारण सभा की बैठक दिनांक 05.02.2021 को प्रातः 11:00 बजे विडियो कॉन्फ्रन्सिंग के माध्यम से आहूत की जायेगी, जिसमें आपके जिला मुख्यालय के सूचना प्रोद्यौगिकी एवं संचार विभाग के जन सुनवाई केन्द्र पर स्थित वी0सी0 कक्ष में आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय है।

साधारण सभा में विचारणीय विषय निम्नानुसार हैः–

1. गत साधारण सभा की बैठक दिनांक 31.08.2019 की कार्यवाही की पुष्टि एवं गत बैठक की कार्यवाही की अनुपालना रिपोर्ट।
2. वर्ष 2019–20 के संतुलन चित्र एवं लाभ–हानि खातों पर विचार एवं अनुमोदन।
3. वर्ष 2019–20 के लाभ वितरण पर विचार।
4. वर्ष 2019–20 के वास्तविक आय व्यय की पुष्टि, वर्ष 2020–2021 के संशोधित आय व्यय बजट की स्वीकृति तथा वर्ष 2021–2022 के प्रस्तावित आय व्यय पर विचार एवं स्वीकृति।
5. वर्ष 2019–20 एवं वर्ष 2020–21 में ऋण वितरण प्रगति व वर्ष 2021–22 के प्रस्तावित ऋण वितरण कार्यक्रम के अनुमोदन पर विचार।
6. राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि0 की वर्ष 2019–20 की वैधानिक ऑडिट रिपोर्ट एवं आक्षेप अनुपालना रिपोर्ट पर विचार एवं अनुमोदन।
7. अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।

साधारण सभा कोरम के अभाव में स्थगित किए जाने की स्थिति में स्थगित साधारण सभा उसी दिनांक 05.02.2021 को अपरान्ह 12:00 बजे विडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से ही मूल एजेण्डावार सम्पन्न की जावेगी।

नोट :–

1. प्रतिनिधि एवं सम्बन्धित बैंक/संस्था, जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है, राजस्थान कॉ–आपरेटिव सोसाइटी एक्ट, 2001 की धारा–20 के अन्तर्गत योग्य होना अपेक्षित है।
2. आपकी संस्था द्वारा बैठक में भाग लेने वाले प्रतिनिधि के बारे में पारित प्रस्ताव की प्रतिलिपि दिनांक 22.01.2021 तक आवश्यक रूप से बैंक कार्यालय अथवा ईमेल आईडी rsldbmd@yahoo.in पर पहुँचाने की व्यवस्था कराने का श्रम करें।
3. अन्य विषय के रूप में प्रस्तुत किये जाने वाले विषय बैठक के 48 घंटे पूर्व बैंक प्रबन्धन को प्राप्त होने पर सुगमता के साथ विचार किया जा सकेगा।
4. यदि अपरिहार्य कारणों से सूचना प्रोद्यौगिकी एवं संचार विभाग द्वारा विडियो कान्फ्रेन्सिंग स्लॉट रद्द किया जाता है तो उक्त साधारण सभा दिनांक 05.02.2021 को प्रातः 11:00 बजे अन्य वर्चुअल मीटिंग प्लेटफार्म के माध्यम से ही मूल एजेण्डावार सम्पन्न की जावेगी, जिस हेतु –
   - ❖ बैठक में भाग लेने के लिये प्रतिभागियों द्वारा अपना व्यक्तिगत मोबाईल नंबर (whatsapp सुविधायुक्त) एवं अधिकृत ईमेल आईडी सत्यापित कर जरिये अधिकृत ईमेल द्वारा दिनांक 22.01.2021 तक बैंक कार्यालय एवं ईमेल आईडी rsldbmd@yahoo.in पर भिजवाने का श्रम करें, जिस पर संबंधित लिंक प्रेषित किया जा सके।
   - ❖ सदस्यों द्वारा वर्चुअल मीटिंग में सफल लॉग–इन, उपस्थिति की गणना के लिए ई–वार्षिक साधारण बैठक में उनकी उपस्थिति की पुष्टि होगी।

विचारणीय विषयों की टिप्पणियॉ पूर्व में आपको प्रासंगिक पत्र के माध्यम से भिजवायी जा चुकी है। सुलभ सन्दर्भ हेतु विचारणीय विषयों को बैंक की वेबसाईट www.rsldb.nic.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है।

भवदीय

(दिनेश कुमार शर्मा)
प्रबन्ध निदेशक

राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि0, जयपुर

प्रशासकीय भाषण

माननीय सदस्यगण !

राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक की 56वीं वार्षिक साधारण सभा में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनन्दन करता हूँ। वित्तीय वर्ष 2019–20 के अंकेक्षित लेखे आपको पूर्व में प्रेषित एजेन्डा के साथ उपलब्ध करा दिये गये हैं जिनका इस बैठक में कमवार विचार विमर्श किया जाना है।

राज्य के 36 प्राथमिक भूमि विकास बैंकों के स्तर पर वर्ष 2019–20 में रू. 89.11 करोड़ का ऋण वितरण हुआ है, जो गत वर्ष के ऋण वितरण रू. 168.07 करोड की तुलना में रू. 78.96 करोड रू. कम है। ऋण वितरण में कमी का एक बड़ा कारण कोरोना संकमण को नियंत्रित करने हेतु लागू किया गया लॉकडाउन भी रहा है। वर्ष 2019–20 में नाबार्ड द्वारा बैंक की पुनर्वित्त पात्रता रू. 200 करोड़ निर्धारित की गई थी जिसके विरूद्व बैंक द्वारा रू. 114.20 करोड़ नाबार्ड पुनर्वित्त का उपयोग किया है, जो गत वर्ष 2018–19 की तुलना में उपलब्ध करवाये गये पुनर्वित्त रू. 137.73 करोड़ की तुलना में रू. 23.53 करोड़ कम है। वर्ष 2020–21 हेतु नाबार्ड द्वारा राज्य बैंक की पुनर्वित्त पात्रता रू. 200 करोड़ निर्धारित की गई है। नाबार्ड पुनर्वित्त का यथासमय आहरण किये जाने हेतु प्राथमिक बैंकों द्वारा आबंटित ऋण वितरण लक्ष्यों के अनुरूप गुणवत्तापूर्वक ऋण वितरण किया जाना अपेक्षित है। प्राथमिक बैंकों के स्तर पर ऋण स्वीकृति के दौरान मोर्गेज सम्पत्ति के मूल्य को आधार लिये जाने के साथ–साथ सदस्य की ऋण चुकौती क्षमता के व्यावहारिक आधार को भी ध्यान में रखा जाना अपेक्षित है ताकि देय तिथि पर वसूली आसानी से प्राप्त हो सके।

प्राथमिक भूमि विकास बैंकों के स्तर पर सहकारी वर्ष 2019–20 में वसूली का राज्य औसत 30.44 प्रतिशत रहा है, जबकि गत वर्ष यह औसत 33.87 प्रतिशत था। इस प्रकार वर्ष 2019–20 में वसूली में 3.43 की कमी रही है, किंतु नकद वसूली संग्रहण गत वर्ष की तुलना में अधिक रहा है। बैंकों के मुख्य वसूली सीजन में लॉकडाउन के बावजूद प्राथमिक बैंकों के स्तर पर गत वर्ष की तुलना की गई वसूली सराहनीय है यद्यपि कुछ बैंकों के स्तर पर गत वर्ष की तुलना में गिरावट भी आई है। गुणवत्तापूर्वक ऋण वितरण के साथ–साथ वसूली स्थिति में भी सुधार लाया जाना अपेक्षित है क्योंकि वसूली में सुधार से ही बैंकों की वित्तीय स्थिति में सुधार संभव है।

प्रदेश की दीर्घकालीन सहकारी साख संरचना के पुनरूद्वार इस हेतु रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा अन्य राज्यों के अध्ययन उपरान्त रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत किये जाने पर, बैंकों के व्यावसायिक सुधार हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों की अनुपालना में रजिस्ट्रार महोदय के स्तर से वसूली दिशा–निर्देश परिपत्र– I एवं अवधिपार ऋणों की वसूली हेतु एकमुश्त समझौता योजना वर्ष 2020– जारी की गई है जिनके प्रभावी कियान्वयन से प्राथमिक बैंकों की वसूली में सुधार किया जाना अपेक्षित है।